न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/35/2019	06–08–2019	06–08–2019

1– लालचन्द पुत्र रामचन्दर जाति अहीर निवासी डब्ल्यू जेड 251–ए, मादीपुर नियर पंजाबी नई दिल्ली –63

—प्रार्थी

बनाम

1– राजेश पुत्र स्व0 परमानन्द
2– राकेश पुत्र स्व0 परमानन्द
3– सुनिता पुत्री स्व0 परमानन्द
4– प्रमिला पुत्री स्व0 परमानन्द
5– संतोष पत्नी स्व0 परमानन्द
6– हरिकिशन पुत्र चन्दूलाल
7– सुरेश कुमार पुत्र चन्दूलाल जाति अहीर निवासी ग्राम चकरपुर तहसील व जिला गुडगावां हरियाणा।
8– मुकेश पुत्र ओमप्रकाश
9– महेश पुत्र ओमप्रकाश
10– कृष्णा पत्नी ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी ग्राम चकरपुर तहसील व जिला गुडगावां हरियाणा।
11– गीता पुत्री ओमप्रकाश पत्नी सुरेन्द्र जाति अहीर निवासी ज्वाला हेडी देहली।
12– लक्ष्मी पुत्री ओमप्रकाश पत्नी धर्मवीर निवासी ग्राम रीवासपुर पोस्ट समयपुर बादली दिल्ली।
13– कैलाश पत्नी प्रतापसिंह
14– अशोक पुत्र प्रतापसिंह
15– प्रवेश पुत्र प्रतापसिंह निवासी ग्राम चकरपुर तहसील व जिला गुडगावां हरियाणा।
16– सरोज पत्नी ताराचन्द
17– महासिंह पुत्र रामचन्दर जाति अहीर निवासी डब्ल्यू जेड 251–ए, मादीपुर नियर पंजाबी नई दिल्ली –63
18– उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला अलवर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—
01. श्री दिनेश कुमार यादव —वकील प्रार्थी
02. श्री प्रेम कुमार शर्मा —वकील अप्रार्थीगण

——:: निर्णय ::——

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी परमानन्द वगै0 बनाम मुकेश वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में बअनुवान परमानन्द बनाम मुकेश वाद विचाराधीन है। जो वाद तकासमा का है। तारीख दिनांक 16.06.2019 को आगामी पेशी 25.09.2019 नियत की गई तथा यही तारीख उभय–पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा नोट की गई। असल अप्रार्थीगण प्रभावशाली व्यक्ति है। जिन्होंने पीठासीन अधिकारी को प्रभाव में लिया हुआ है। तारीख पेशी 25.09.2019 के स्थान पर तारीख 26.06.2019 नियत कर दी गई। उसके बाद दिनांक 02.07.2019 नियत कर दी गई। जिसकी सूचना प्रार्थी अधिवक्ता को दिनांक 02.07.2019 को ही दी गई। प्रार्थी अधिवक्ता न्यायालय में पहुंचे तो उनसे साक्ष्य वादी कराये जाने के लिये कहां जिस पर अधिवक्त महोदय द्वारा कहां गया कि वो अपने पक्षकार के सामने ही आगामी कार्यवाही करना चाहते है। लेकिन वो नहीं माने और बडी मुश्किल से निवेदन करने पर आगामी पेशी 11.07.2019 नियत की गई और हिदायत दी कि दिनांक 11.07.2019 को उपस्थित होकर आगामी कार्यवाही नहीं की तो वादी का वाद डिक्री कर देंगे। मिन प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते देखा है। अप्रार्थीगण द्वारा ऐलानिया कहां कि हमने पीठासीन अधिकारी से बातचीत कर ली है। हम अपने वाद का हमारे अनुसार ही डिक्री व तकसीम कराऐंगे। पीठासीन अधिकारी भी उक्त प्रकरण में काफी रूची दिखा रहे है। पीठासीन अधिकारी द्वारा अपना रूख स्पष्ट कर दिया है कि इस मुकदमें में तुम्हारा कोई हित नहीं है, इसलिए वह इस प्रकरण का निस्तारण शीघ्र ही अप्रार्थीगण के हक में करने वाले है। पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त वाद का फैसला अप्रार्थीगण के पक्ष में कर दिया तो प्रार्थी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में विचाराधीन वाद अनुवार परमानन्द वगै0 बनाम मुकेश वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल फरमावें।

वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रा0पत्र में निवेदन किया कि विवादित आराजी का काफी समय से बाहमी बटवारा हो रहा है और बाहमी बटवारें अनुसार सभी खातेदारान् अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। वादग्रस्त आराजी अबट काश्त भूमि है जिसका आज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है। विधिवत् तकासमा के लिए वादीगण/अप्रार्थीगण की ओर से विधिक प्रकियानुसार वाद पेश किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र में दिनांक 16.06.2019 या 25.06.2019 तारीख पेशी कभी मुकर्रर नहीं की गई। प्रार्थीगण द्वारा दोनों तारीखे गलत दर्ज की है। वास्तव में साबिक पेशी दिनांक 19.06.2019 वास्ते जिरह नियत की गई थी। जिसमें आगामी पेशी 26.06.2019 मुकर्रर की गई, लेकिन दिनांक 26.06.2019 को प्रार्थी की ओर से जिरह नहीं की गई और प्रार्थी की ओर से जिरह हेतु समय चाहा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशी 02.07.2019 नियत की गई। प्रार्थी द्वारा आगामी पेशी पर भी जिरह नहीं की गई, तो प्रार्थी की जिरह बन्द कर दी गई। प्रार्थी को काफी अवसर दिये गये है। लेकिन प्रार्थी द्वारा जानबूझकर जिरह नहीं की गई है। अब प्रा0पत्र प्रार्थी ने वाद का लम्बा करने की नियत से पेश किया गया है। हम अप्रार्थीगण कभी भी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से नहीं मिले और ना ही उनके चैम्बर में आते जाते रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को किसी प्रकार की धमकी नहीं दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् तरीके से प्रकरण का विचारण किया जा रहा है। अतः प्रा0पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें।

अतिरिक्त जिला कलैक्टर

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ता द्वारा पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। वकील अप्रार्थीगण द्वारा पेश अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद की आदेशिका का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण को चलते 4 साल से अधिक का समय हो गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रा.पत्र में गलत तारीखे अंकित कर न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की गई है और प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पत्रावली मुन्तकिल करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण नही बताया गया है तथा किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी तिजारा को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06–08–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/8/19

(भगवतसिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)